जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- थाना चांदपुर **दिनाँक-24.10.2024**

थाना चांदपुर पुलिस ने चोरी की 02 घटनाओं का अनावरण करते हुए 03 अभियुक्तों को चोरी के माल सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 22.09.2024 को वादी नासर पुत्र वली निवासी ग्राम कमालपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.हुकुम पुत्र यशराज व 2.सोनू पुत्र सत्तार निवासीगण ग्राम रवाना थाना चांदपुर जनपद बिजनौर द्वारा ग्राम रवाना मे स्थित वादी के बेटे के मकान से दो भगोने (सिल्वर), एक कढाई, एक स्टील का डब्बा, एक कुकर, एक सोलर सेट, एक बैट्रा, एक छोटा गैस सिलेन्डर, पांच प्लेट आदि सामान चोरी कर लिया गया। तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 493/2024 धारा 305(ए) बीएनएस बनाम हुकुम सिंह व सोनू उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

दिनांक 23.10.2024 को वादी श्री धर्मेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री के0पी0 शर्मा निवासी तहसील कम्पाउन्ड स्याहू थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी अज्ञात अभियुक्त द्वारा तहसील कम्पाउन्ड से वादी के पुत्र सहित 03 व्यक्तियों की कुल 04 साईकिल चोरी कर ली गई। तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 575/24 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

थाना चांदपुर पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 575/24 की विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियुक्त हुकुम सिंह पुत्र यशराज निवासी ग्राम रवाना थाना चांदपुर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश मे आया।

कार्यवाही-

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तगण 1.हुकुम पुत्र यशराज व 2.सोनू पुत्र सत्तार निवासीगण ग्राम रवाना थाना चांदपुर जनपद बिजनौर व 3.मुनेश कुमार पुत्र मुन्नू सिंह निवसी ग्राम मलकर मडैया थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 01 हीरो एवन रेंजर साइकिल, 01 सोलर पैनल, 01 छोटा बैटरा, 01 छोटा गैस सिलेन्डर (05 किलो), 02 भगोने (सिल्वर), 01 कढाई (सिल्वर), 01 स्टील का डिब्बा, एक कूकर (सिल्वर पांच लीटर), पांच प्लेट (स्टील) को बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर उपरोक्त दोनो अभियोगो में दारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई।

पूछताछ विवरण

अभियुक्त हुकुम सिंह ने पूछताछ पर बताया कि मैने एक दिन पहले ही तहसील कम्पाउन्ड स्याहू से चार साइकिल चोरी की थी जिनमे से तीन साइकिल को मैने पांच- पांच सौ रूपये मे राह चलते व्यक्तियों को बेच दी थी व चौथी साइकिल को मैने मुनेश पुत्र मुन्नू सिंह को 400/- रूपये मे बेची थी।

इसके अलावा अभियुक्तगण हुकुम सिंह व सोनू उपरोक्त ने बताया कि हम दोनो ने मिलकर करीब एक महीने पहले ग्राम रवाना मे नासर के मकान से भगोने, कढाई, सोलर पैनल आदि सामान चोरी किया था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता-

1. हुकुम पुत्र यशराज निवासी ग्राम रवाना थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
2. सोनू पुत्र सत्तार निवासी ग्राम रवाना थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
3. मुनेश कुमार पुत्र मुन्नू सिंह निवसी ग्राम मलकर मडैया थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

अभियुक्तगण का अपराधिक इतिहास -

1.हुकुम सिंह उपरोक्त-

1. मु0अ0स0 18/22 धारा 380/411/457 भादवि0 थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
2. मु0अ0स0 -80/16 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
3. मु0अ0स0 582/18 धारा 39/401 भादवि थाना चांदपुर बिजनौर
4. मु0अ0स0 586/18 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना चादपुर बिजनौर
5. मु0अ0स0 582/21 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना चादपुर
6. मु0अ0स0 650/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना चादपुर
7. मु0अ0स0 493/24 धारा 305(1)/317(2) बीएनएस थाना चादपुर
8. मुअ0स0 575/24 धारा 303(2) /317(2) बीएनएस थाना चादपुर

2.सोनू उपरोक्त

1.मु0अ0स0 481/21 धारा 380/411 भादवि0 थाना चादपुर बिजनौर।
2.मु0अ0स0 493/24 धारा 305(1)/317(2) बीएनएस थाना चादपुर बिजनौर।

3.मुनेश उपरोक्त-

1.मु0अ0स0 575/24 धारा 317(2) बीएनएस थाना चादपुर बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 प्रमोद कुमार थाना चांदपुर बिजनौर।
2. उ0नि0 भूषण कुमार थाना चांदपुर बिजनौर।
3. का0 668 राजकुमार थाना चांदपुर बिजनौर।
4. का0 794 बालेन्द्र थाना चांदपुर बिजनौर।
5. का0 2567 संजीव थाना चांदपुर बिजनौर।
6. का0 2523 संदीप थाना चांदपुर बिजनौर।

प्रेस नोट – जनपद बिजनौर **दिनांक – 24.10.2024**

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बिजनौर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित करने वाले 02 आरोपी अभियुक्तों को आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को दो-दो लाख रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाही –

दिनांक 25.07.2019 को वादिया गुलनाज पुत्री अ0 रशीद निवासी मौ0 शेखान थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर ने थाना कोतवाली देहात पर तहरीर दी कि वादिया का पति सलीम पुत्र शकील निवासी ग्राम बगदाद अंसार थाना धामपुर जनपद बिजनौर आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है तथा सलीम से वादिया की आये दिन कहासुनी होती रहती है एवं सलीम से वादिया का तलाक हो गया है। दिनांक 24.07.2019 को वादिया, वादिया की बहन जोया एवं वादिया का माँ नूरजहां घर पर मौजूद थे। इसी दौरान सलीम अपने एक अन्य साथी के साथ वादिया के घर आया एवं वादिया की माँ के साथ गाली-गलौच करते हुए दोनो ने एक राय होकर वादिया की माँ के ऊपर तमंचो से गोली चला दी और गोली मारकर मौके से भाग गये।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 177/19 धारा 307/452/504/34 भादवि बनाम सलीम व एक अन्य अज्ञात पंजीकृत किया गया। उपचार के दौरान नूरजहाँ की मृत्यु हो गयी थी। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 302 भादवि की वृद्धि की गयी एवं अभियुक्त इमरान उर्फ छोटू पुत्र रियासत निवासी ग्राम भीकनपुर रवाना थाना छजलैट जनपद मुरादाबाद का नाम प्रकाश में आया। पुलिस द्वारा अभियुक्तों को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त अवैध शस्त्र बरामद किये गये। अवैध शस्त्रों की बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 235/19 व मु0अ0सं0 236/19 धारा 25/27 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में बिजनौर पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी की गयी तथा अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 24.10.2024 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय सं0 1, जनपद बिजनौर द्वारा धारा 452/302/504/34 भादवि व धारा 27 आयुध अधिनियम के आरोपी अभियुक्तगण 1.सलीम पुत्र शकील निवासी ग्राम बगदाद अंसार थाना धामपुर जनपद बिजनौर व 2.इमरान उर्फ छोटू पुत्र रियासत निवासी ग्राम भीकनपुर रवाना थाना छजलैट जनपद मुरादाबाद को आजीवन कारावास व प्रत्येक को दो-दो लाख (कुल 04 लाख रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अधिरोपित कुल अर्थदण्ड ₹ 4,00,000 /- की आधी धनराशि दो लाख रुपये में से एक लाख रुपये वादिया मुकदमा गुलनाज एवं एक लाख रुपये वादिया की बहन जोया को क्षतिपूर्ति हेतु दिये जायेंगे।

दोषसिद्ध अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.सलीम पुत्र शकील निवासी ग्राम बगदाद अंसार थाना धामपुर जनपद बिजनौर

2.इमरान उर्फ छोटू पुत्र रियासत निवासी ग्राम भीकनपुर रवाना थाना छजलैट जनपद मुरादाबाद

प्रेस नोट – जनपद बिजनौर **दिनांक – 24.10.2024**

“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बिजनौर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा गैर इरादतन हत्या के आरोपी अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 30,000 /- रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाही –

दिनांक 16.01.2018 को वादी श्री ऋषिपाल सिंह पुत्र स्व0 चतरु सिंह निवासी पी-5/2 यमुना कॉलोनी स्थायी निवासी ग्राम दारानगर गंज थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि वादी का छोटा भाई महेन्द्र वादी की माता के साथ गांव में ही रहता है। वादी का छोटा भाई शराब पीने का आदि है तथा वादी की माता से साथ अक्सर झगडा व मारपीट करता रहता है। दिनांक 02.08.2017 को वादी की माता संदिग्ध परिस्थितियों में अचानक गायब हो गयी थी, जिनका शव दिनांक 25.08.2017 को मिला था। वादी की माता को किसी व्यक्ति ने मार दिया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 68/18 धारा 304 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में अभियुक्त महेन्द्र पुत्र चतरु निवासी ग्राम दारानगर गंज थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया। विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में बिजनौर पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी की गयी तथा अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 24.10.2024 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, जनपद बिजनौर द्वारा धारा 304/201 भादवि के आरोपी अभियुक्त महेन्द्र पुत्र चतरु निवासी ग्राम दारानगर गंज थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को 10 वर्ष के कठोर कारावास व ₹ 30,000 /- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम व पता –

महेन्द्र पुत्र चतरु निवासी ग्राम दारानगर गंज थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- थाना कोतवाली शहर दिनाँक-24.10.2024

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने मु0अ0सं0 565/23 धारा 363 भादवि में 02 अभियुक्त गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 13.06.2023 को वादी कि नाबालिग बहन को अभियुक्तगण 1.सचिन पुत्र मुकेश व 2.मंजू पत्नी मिथुन, 3.मुन्नी देवी पत्नी मुकेश निवासीगण ग्राम इप्सा मुराहट थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर द्वारा थाना कोतवाली शहर क्षेत्र के बाल कल्याण समिति गेट के पास से बहला फुसलाकर कही ले जाने के संबंध में थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 565/23 धारा 363 भादवि बनाम सचिन आदि 03 नफर अभियुक्तगण पंजीकृत किया गया था। थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा दिनांक 15.06.2023 अभियोग से संबंधित अपहृता को बरामद किया गया तथा दिनांक 29.07.2023 को अभियोग मे नामित मुन्नी देवी पत्नी मुकेश उपरोक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

कार्यवाही-

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग मे वांछित अभियुक्तगण 1. सचिन पुत्र मुकेश कुमार व 2.मंजू पत्नी मिथुन निवासीगण ग्राम इप्सा मुराहट थाना शिवालाकंलां जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया।

नोट- गिरफ्तार किये गए अभियुक्तगण के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 02.01.2024 को एनबीडब्लू व दिनांक 07.05.2024 को धारा 82 सीआरपीसी का उदघोषणा का आदेश जारी किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता-

1. सचिन पुत्र मुकेश कुमार निवासी ग्राम इप्सा मुराहट थाना शिवाला कंला जनपद बिजनौर
2. मंजू पत्नी मिथुन निवासी ग्राम इप्सा मुराहट थाना शिवाला कंला जनपद बिजनौर

अपराधिक इतिहास -

1.सचिन उपरोक्त-

1.मु0अ0सं0 0264/2023 धारा 363/366 भादवि थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

2.मु0अ0सं0 0565/2023 धारा 363 भादवि थाना को0शहर जनपद बिजनौर

2.मंजू उपरोक्त

1.मु0अ0सं0 0565/2023 धारा 363 भादवि थाना को0शहर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 सोहन सिंह पुण्डीर थाना को0शहर जनपद बिजनौर

2.का0 2617 मोहित थाना को0शहर जनपद बिजनौर 3.म0का0 663 किरन थाना को0शहर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नजीबाबाद **दिनांक – 24.10.2024**

थाना नजीबाबाद पुलिस ने मु0अ0सं0 466/2024 धारा 74/333/351(2) बी0एन0एस0 में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 16.09.2024 को वादिया ने थाना नजीबाबाद पर अभियुक्तगण 1.तनवीर निवासी पुरानी चुंगी ईदगाह रोड अफ्सरा गार्डन हापुड 2.रुखसाना पत्नी राहुल 3.परवेज 4.अफसार के विरुद्ध तनवीर से वादिया की शादी न होने पर घर में घुस कर जान से मारने की धमकी देने आदि के सम्बंध में मु0अ0सं0 466/2024 धारा 74/333/351(2) बी0एन0एस0 बनाम तनवीर आदि उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

आज दिनांक 24.10.2024 को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त तनवीर पुत्र अताउल निवासी गली नं0 05 कस्बा हापुड जनपद हापुड को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

तनवीर पुत्र अताउल निवासी गली नं0 05 कस्बा हापुड जनपद हापुड

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री संदीप कालरा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
2. कां0 1943 दीपक पुण्डीर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
3. कां0 971 सौरभ थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना चांदपुर **दिनांक – 24.10.2024**

थाना चांदपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 573/2024 धारा 85/115(2)/80(2) बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 23.10.2024 को वादी श्री भूपेंद्र सिंह पुत्र जय राम सिंह निवासी ग्राम बेगराजपुर थाना नहटौर जनपद बिजनौर ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि दिनांक 22.10.2024 को वादी की बहन रूपा को उसके ससुरालीजन 1-हरीश चन्द्र (पति) पुत्र मुन्ने सिंह 2-मुन्ने सिंह (ससुर) 3-सोनू (देवर) पुत्र मुन्ने सिंह 4.बीना (देवरानी) पत्नी सोनू निवासीगण ग्राम स्याऊ थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर आदि कुल 07 नफर द्वारा दहेज की मांग करते हुए प्रताड़ित किया गया तथा मारपीट करते हुए जहर दे दिया, जिससे वादी की बहन की मृत्यु हो गयी व वादी द्वारा डॉक्टर को दिखाने के लिये कहने पर वादी के साथ मारपीट की गयी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 573/2024 धारा 85/115(2)/80(2) बीएनएस व 3/4 दहेज अधिनियम पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

आज दिनांक 24.10.2024 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1.मुन्ने पुत्र बल्देव सिंह 2.सोनू पुत्र मुन्ने सिंह निवासीगण ग्राम स्याऊ थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.मुन्ने पुत्र बल्देव सिंह निवासी ग्राम स्याऊ थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

2.सोनू पुत्र मुन्ने सिंह निवासी ग्राम स्याऊ थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री मुकेश कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

2.कां0 865 धन सिंह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

3.कां0 2592 सुमित कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना शेरकोट **दिनांक – 24.10.2024**

थाना शेरकोट पुलिस ने मु0अ0सं0 184/2024 धारा 323/376 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 29.09.2024 को वादिया ने थाना शेरकोट पर तहरीर दी कि निखिल उर्फ शुभम कुमार पुत्र दिनेश निवासी मौ0 फतेहनगर कस्बा व थाना शेरकोट जनपद बिजनौर ने वादिया को शादी का झांसा देकर वादिया के साथ गलत काम किया तथा वादिया से शादी न करके वादिया का गर्भपात करा दिया । तहरीर के आधार पर थाना शेरकोट पर मु0अ0सं0 184/2024 धारा 376/312 भादवि पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग से धारा 312 भादवि का लोप कर धारा 323 भादवि की वृद्धि की गयी ।

कार्यवाही –

आज दिनांक 24.10.2024 को थाना शेरकोट पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त निखिल उर्फ शुभम कुमार पुत्र दिनेश कुमार निवासी मौ0 फतेहनगर कस्बा व थाना शेरकोट जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

निखिल उर्फ शुभम कुमार पुत्र दिनेश निवासी मौ0 फतेहनगर कस्बा व थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री विपिन कुमार थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

2.हे0कां0 400 प्रदीप कुमार थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

3.कां0 81 नितिन कुमार थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना नूरपुर   दिनांक 24.10.2024

थाना नूरपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 416/24 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम में वांछित अभियुक्त को पुलिस मुठभेड में घायल अवस्था में किया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से अवैध शस्त्र व गौवध करने के उपकरण बरामद किये गये।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 23.10.2024 को वादी श्री राहुल कुमार पुत्र अशोक कुमार निवासी ग्राम गुनियाखेडी थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ने थाना नूरपुर पर तहरीर दी कि ग्राम गुनियाखेडी के जंगल में प्रतिबन्धित गौवंशीय अवशेष मिले है। इस संबंध में थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 416/24 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ अधिकारीगणों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर, घटना के अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया। जिसके क्रम में शमशाद निवासी ग्राम गुनियाखेड़ी थाना नूरपुर जनपद बिजनौर के मकान से गौकशी की घटना में प्रयुक्त उपकरण बरामद किये गये। विवेचनात्मक कार्यवाही में अभियोग में अभियुक्तगण 1- नाजिर पुत्र मेहन्दी निवासी ग्राम बेड़ा खुर्द थाना नूरपुर जनपद बिजनौर 2- शाहरूख पुत्र नईमुद्दीन 3- श्रीमती गुलशन पत्नी शमशाद 4- शोएब पुत्र फईमुद्दीन निवासीगण ग्राम गुनियाखेड़ी थाना नूरपुर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया।

कार्यवाही –

दिनांक 23/24.10.2024 की रात्रि में थाना नूरपुर पुलिस टीम को गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम गुनियाखेडी के जंगल में गौकशी की घटना कारित करने वाले अभियुक्तगण ग्राम गुनियाखेडी के जंगल में खडे है और गौकशी करने की फिराक में है। स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल गुनियाखेडी के जंगल में पहुंचकर अभियुक्तगणों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया तो बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। बदमाशों द्वारा की फायरिंग में एक गोली आरक्षी कुलदीप खोखर के बाएं बाजू में लगी। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी जवाबी फायरिंग में बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी, जिसको घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया तथा 02 अभियुक्तगण अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गये। स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल घायलो को उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।

घायल बदमाश ने अपना नाम शाहरुख पुत्र नईमुद्दीन निवासी ग्राम गुनियाखेडी थाना नूरपुर जनपद बिजनौर बताया तथा अपने फरार साथियों का नाम 1- नाजिर पुत्र मेहन्दी निवासी ग्राम बेड़ा खुर्द थाना नूरपुर जनपद बिजनौर व 2- शोएब पुत्र फईमुद्दीन निवासी ग्राम गुनियाखेड़ी थाना नूरपुर जनपद बिजनौर बताया।

अभियुक्त शाहरुख उपरोक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 खोखा कारतूस व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर तथा गौवध करने के उपकरण बरामद किये गये । इस संबंध में थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 418/2024 धारा 3(5)/109 बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया।

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि दिनांक 22/23 की रात्रि में मैने अपने दो अन्य फरार साथियो के साथ मिलकर गुनियाखेडी के रहने वाले अपने चाचा शमशाद के घर गौकशी की घटना की थी, जिसमें मेरी चाची गुलशन भी शामिल थी । अभियुक्त से विस्तृत पूछताछ जारी है । आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है । शेष अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

शाहरुख पुत्र नईमुद्दीन निवासी ग्राम गुनियाखेडी थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण –

1- 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस

2- गौवध करने के उपकरण

अभियुक्त उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0 416/2024 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

2.मु0अ0सं0 418/2024 धारा 3(5)/109 बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1-प्रभारी निरीक्षक श्री रविन्द्र कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

2-उ0नि0 रवि कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

3-उ0नि0 राहुल कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

4-का0 सोनू कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

5-का0 कुलदीप खोखर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

6-का0 परमवीर पंवार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

7-का0 संदीप कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।